भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2119

23 सितम्बर, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधियों की देखरेख

2119. श्री नायब सिंह सैनी:
श्री रवि किशन:
श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:
श्री रवीन्दर कुशवाहा:
श्री जॉन बला:

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्रीय योजना ने आयुष औषधियों के लिए सुरक्षा सतकता निगरानी तंत्र को मजबूत किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या तंत्र आयुष औषधियों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित कर रहा है; और
(घ) यदि हां, तो इन औषधियों के प्रतिकूल प्रभावों की पहचान सहित इन औषधियों के आकलन और मूल्यांकन करने म यह किस तरह से मदद कर रहा है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. हषवधन)

(क) और (ख): आयुष मंत्रालय ने आयुवद, सिद्ध, यूनानी और होम्यौपैथी (एएसयू एण्ड एच) औषधियों की केंद्रीय क्षेत्रक योजना दिसंबर, 2017 से कायान्वित की है। इस योजना के तहत औषधियों से संबंधित प्रतिकूल घटनाओं की सूचना देने की संस्कृति विकसित करने और एएसयू एण्ड एच औषधियों के भ्रामक विज्ञापनों पर विनियामक कारवाई करने के लिए पांच मध्यस्थ पद्धति-वार भेषजसतकता केंद्रों और 63 परिधीय भेषज सतकता केंद्रों का एक नेटवक स्थापित किया गया है और यह अगस्त, 2018 से काम कर रहा है। इस नेटवक म हाल ही म ग्यारह और परिधीय केंद्रों को शामिल किया गया है। देशभर म फैले मध्यस्थ भेषज सतकता केंद्रों के रूप म पांच राष्ट्रीय आयुष संस्थानों और 74 परिधीय भेषज सतकता केंद्रों के साथ अखिल भारतीय आयुवद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली को राष्ट्रीय भेषज सतकता समन्वयन केंद्र (एनपीवीसीसी) के रूप म नामोद्दिष्ट किया गया है। भेषज सतकता गतिविधियों से जुड़े प्रस्तावों और भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी पर विचार करने के लिए योजना के तहत परियोजना मूल्यांकन समिति और परियोजना स्वीकृति समिति गठित की जाती ह। भेषज सतकता योजना के तहत विभिन्न केंद्रों से आयुवद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के प्रतिकूल प्रभावों

के बारे म भेजे गए आंकड़ों का विश्लेषण करने और किसी अपेक्षित विनियामक कारवाई की सिफारिश करने के लिए संकेत संसूचक समिति और दुघटना आकलन समिति गठित की जाती ह। भेषज सतकता कद्रों ने अगस्त, 2020 तक एएसयू एण्ड एच औषधियों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों के 8203 मामलों और संदेहास्पद प्रतिकूल औषध घटना के 463 मामलों (आयुवद औषधियों के 186, सिद्ध औषधियों के 70, यूनानी औषधियों के 151 और होम्योपैथी औषधियों के 56) की सूचना भेजी है।

(ग) और (घ): भेषज सतकता योजना के कार्यान्वयन से विशेषज्ञ समितियों को एएसयू एण्ड एच औषधियों की सुरक्षा और गुणवत्ता का आकलन करने म मदद मिली है। इसके साथ ही [illegible] प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित विनियामक कारवाई किए जाने हेतु इन औषधियों [illegible]गलत प्रस्तुतीकरण और संभावित [illegible] [illegible]

*****